



प्रेस नोट-थाना फजलगंज कमिश्नरेट कानपुर नगर

बेल मिली तो हुआ फरार पुलिस ने फिर भेजा जेल

-शादी करके पत्नी को लेकर भाग गया था हरियाणा

-34 साल से फरार था दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त

कानपुरा दुष्कर्म के मामले गिरफ्तारी पुरस्कार घोषित सजायाबी अपराधी को बेल मिली तो वह फरार हो गया। लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्त को थाना फजलगंज और गोविंदनगर की संयुक्त पुलिस ने दबोच लिया।

अभियुक्त पर मु0अ0सं0 49/86 धारा 363/366/376 भादवि0 थाना गोविन्दनगर से सम्बन्धित सजायाबी अभियुक्त की पहचान राजकुमार पुत्र परमेश्वर पाण्डेय नि0 119/525 दर्शनपुरवा थाना फजलगंज के रूप में हुई। जिसकी मा0 न्यायालय एडीजे कानपुर नगर ने 17.09.1988 को उपरोक्त अभियोग में 04 वर्ष की सजा से दण्डित किया था। अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त उक्त सजा के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रिमिनल अपील सं0 2204/1988 दायर किया था जिस पर मा0 न्यायालय ने अभियुक्त राजकुमार को जमानत पर रिहा कर दिया था। जमानत पर छूटने के पश्चात अभियुक्त राजकुमार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहा था। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अभियुक्त राजकुमार को उपस्थित होने के लिए कई बार नोटिस जारी किया उसके बाद भी जब वह उपस्थित नहीं हुआ तो मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उसके विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट निर्गत कर, राजकुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने का आदेश निर्गत किया।

उक्त आदेश के क्रम में उसके पुराने पते 119/525 दर्शनपुरवा थाना फजलगंज कानपुर नगर जाकर पता किया गया तो ज्ञात हुआ की अभियुक्त राजकुमार कभी-कभी अपने मामा पुरुषोत्तम जो यहाँ किराये पर रहते थे के घर पर आता-जाता था। अभियुक्त राजकुमार के मामा पुरुषोत्तम यहाँ से करीब 35 वर्ष पहले किराये का कमरा छोड़कर चले गये थे, वर्तमान समय में उक्त पते पर कोई नहीं रहता है। उसके बाद यह जानकारी प्राप्त हुई की अभियुक्त राजकुमार का एक पता ग्राम कुम्भा जनपद जौनपुर तथा दूसरा पता ग्राम पकड़ी झबबर थाना कलवारी जनपद बस्ती के बारे में जानकारी मिली। उपरोक्त दोनों पते पर जाकर काफी प्रयास किया गया किन्तु कोई जानकारी नहीं मिल पायी। जनपद बस्ती के पते पर राजकुमार उपरोक्त की वृद्ध (95 वर्ष) माँ मिली जिसने बताया की हमारा बेटा करीब 25 वर्ष से घर नहीं आया है वह हरियाणा में कहीं रहता है और वहीं उसने अपनी शादी भी कर ली है उसके बारे में अन्य कोई जानकारी नहीं मिल पायी है।

डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने अभियुक्त राजकुमार की गिरफ्तारी के लिये एक टीम गठित की। उस पर 15000/- रुपये की धनराशि का पुरस्कार घोषित किया था। टीम ने 27.05.2022 को जनपद जिन्द रोहतक रोड हरियाणा से गिरफ्तार कर थाना फजलगंज कमिश्नरेट कानपुर नगर में दाखिल किया गया।

अभियुक्त ने बताया कि मुझे 04 वर्ष की सजा हो गयी थी। उक्त सजा के विरुद्ध मैंने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील किया था जहाँ से मेरी जमानत हो गयी थी, मैंने सोचा की थाना फजलगंज का जो पता मैंने लिखाया था वहाँ पर कोई रहता नहीं इसके कारण मुझे कोई पकड नहीं पायेगी इसलिए जमानत से छूटने के कुछ दिन बाद मैंने अपनी शादी करके पत्नी सहित हरियाणा भाग गया था और वहीं पर रामनगर कालोनी रोहतक रोड जनपद जिन्द हरियाणा मे रह रहा था तथा अपने मूल पता ग्राम पकडी झब्बर थाना कलवारी जनपद बस्ती से भी अपना सम्बन्ध समाप्त कर लिया था, वहाँ पर केवल मेरी 95 वर्षीय बूढी माँ रहती थी जिससे कभी कभी फोन पर बात कर लिया करता था।

नाम पता पुरस्कार घोषित अपराधी

1.राजकुमार पुत्र परमेश्वर पाण्डेय मूल पता- ग्राम पकडी झब्बर थाना कलवारी जनपद बस्ती, वर्तमान पता- रामनगर कालोनी रोहतक रोड जनपद जिन्द हरियाणा।

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 49/86 धारा 363/366/376 भादवि0 थाना गोविन्दनगर कानपुर नगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम- देवेन्द्र कुमार दुबे प्रभारी निरीक्षक थाना फजलगंज, उ0नि0 माधव प्रसाद त्रिपाठी, हे0का0 आदर्श सिंह, का0 नवीन तावनिया, का0 सर्वेन्द्र कुमार थाना गोविन्दनगर के प्रभारी निरीक्षक रोहित तिवारी, उ0नि0 अंकुर मलिक, का0 पुष्पेन्द्र, उ0नि0 हिमांशु शामिल रहे।